

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो.नि.वि., गाजीपुर

पत्रांक

52/1C

दिनांक 7-1-2015

सेवा में,

सुंयक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

विषय: नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक-एन0ओ0सी0/5168-71/2014-15 दिनांक 07.10.2014.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में संतराम नारायण शंकर शिव पब्लिक स्कूल, बरुइन, जमानियां, गाजीपुर में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेक लिस्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार दो पृष्ठ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो.नि.वि.
गाजीपुर

7/1/2015

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा 6- से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र० सं०	सुरक्षासम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजील से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टर (18000 वर्ग मी०) है?	नहीं
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है।	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (छोटे कक्षों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ

C.P.P.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 कोटवाटिया
राजौर

18	क्या एक मजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid FireFighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

CPD
J.E.
CDI, PWD
Ghorpur

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा-1 लोअर मिडिल
राजौपुर